

प्रारंभिक परीक्षा

आरक्षण और 50% सीमा

संदर्भ

- बिहार में विपक्ष के नेता ने घोषणा की है कि यदि उनका गठबंधन सत्ता में आता है, तो वे आरक्षण कोटा बढ़ाकर 85% कर देंगे।
 - इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

संवैधानिक प्रावधान -

- अनुच्छेद-15(1): राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है।
- अनुच्छेद-15(4): राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी), एससी और एसटी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद-15(5): निजी संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) सहित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद-15(6): 103वें संवैधानिक संशोधन (2019) द्वारा प्रस्तुत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद-16(1): सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद-16(4): राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों/पदों में आरक्षण की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद-16(4A): अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है (77वें संशोधन, 1995 द्वारा सम्मिलित)।
- अनुच्छेद-16(6): सरकारी नौकरियों में 10% EWS आरक्षण प्रदान करता है।

प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ -

- बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962)
 - आरक्षण "उचित सीमा" के भीतर होना चाहिए।
 - आरक्षण की सीमा 50% कर दी गई।
 - आरक्षण को समानता के अपवाद के रूप में माना गया।
- केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस (1975)
 - मौलिक समानता का विचार प्रस्तुत किया।

- उन्होंने कहा कि आरक्षण अपवाद नहीं बल्कि अवसर की समानता का हिस्सा है।
- 50% की अधिकतम सीमा पर कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं दिया गया।
- **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)**
 - ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा गया।
 - इस बात पर जोर दिया गया कि पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति एक मानदंड हो सकती है।
 - 50% की अधिकतम सीमा की पुनः पुष्टि की गई (दुर्लभ अपवादों को छोड़कर)।
 - ओबीसी के लिए 'क्रीमी लेयर' बहिष्करण की अवधारणा शुरू की गई।
 - ओबीसी के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी गई।
- **एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006):** एससी/एसटी पदोन्नति कोटा को बरकरार रखा (77वां, 81वां, 82वां, 85वां संशोधन)।
 - लगाई गई शर्तें:
 - पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा,
 - अपर्याप्त प्रतिनिधित्व,
 - प्रशासनिक दक्षता (अनुच्छेद 335) को बनाए रखा जाना चाहिए।
- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022)**
 - 103वें संशोधन (10% EWS आरक्षण) को बरकरार रखा गया।
 - आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंड वैध आधार।
 - 50% की सीमा अनम्य नहीं है; यह मुख्यतः जाति-आधारित कोटा पर लागू होती है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

मेजराना कण(Majorana Particles)

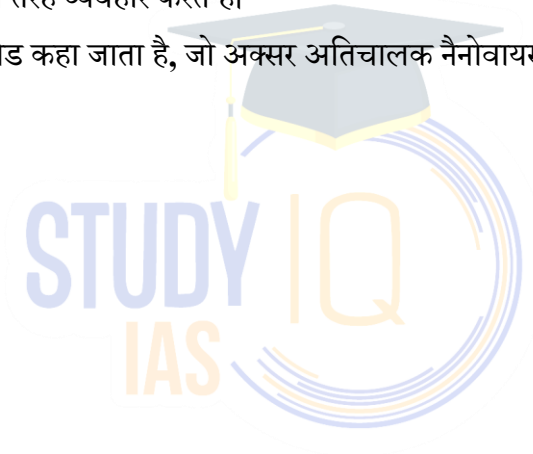
संदर्भ

व्यावहारिक क्वांटम कंप्यूटर बनाने के वैश्विक प्रयास में, वैज्ञानिक उन्नत भौतिकी से अपरंपरागत अवधारणाओं जैसे मेजराना कणों के उपयोग की खोज कर रहे हैं।

मेजराना कण क्या है?

- इतालवी भौतिक विज्ञानी एटोर मेजराना (1937) द्वारा प्रस्तावित।
- एक फर्मिऑन जो स्वयं अपना प्रतिकण(antiparticle) होता है - इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों के विपरीत जिनके अलग-अलग प्रतिपदार्थ प्रतिरूप(antimatter counterparts) होते हैं।
- उच्च-ऊर्जा भौतिकी में इसकी भविष्यवाणी की गई है, लेकिन प्रकृति में इसका निर्णायक रूप से अवलोकन नहीं किया गया है।
- संघनित पदार्थ प्रणालियों में, कुछ अर्धकण (परम शून्य के निकट अतिचालकों में सामूहिक उत्तेजन) मेजराना फर्मिऑन की तरह व्यवहार करते हैं।
- इन्हें मेजोरोना शून्य मोड कहा जाता है, जो अक्सर अतिचालक नैनोवायर्स के सिरों पर पाए जाते हैं।

स्रोत: [द हिंदू](#)



महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की योजना

संदर्भ

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के एक भाग के रूप में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

योजना के बारे में -

- **उद्देश्य:** नई खनन परियोजनाओं की लंबी अवधि को देखते हुए, आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्वों) के पुनर्चक्रण(recycling) को बढ़ावा देना।
- **वित्तीय परिव्यय:** ₹1,500 करोड़।
- **कार्यकाल:** 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31)।
- **पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं:**
 - **योग्य फीडस्टॉक:** ई-कचरा, लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रेप, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स और अन्य खराब वाहन स्क्रेप।
 - **लाभार्थी:** बड़े रिसाइक्लर और छोटी/नई संस्थाएं (स्टार्ट-अप सहित)।
 - परिव्यय का एक तिहाई हिस्सा छोटी संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
 - **प्रोत्साहन तंत्र:**
 - **पूंजीगत व्यय सब्सिडी:** समय पर उत्पादन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी पर 20%।
 - **वृद्धिशील बिक्री पर परिचालन सब्सिडी:** 40% (वर्ष 2) और 60% (वर्ष 5)।
 - **प्रोत्साहन सीमा:** बड़ी संस्थाओं के लिए ₹50 करोड़, छोटी संस्थाओं के लिए ₹25 करोड़।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) -

- **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 तक।
- **उद्देश्य:** घरेलू और विदेशी स्रोतों से भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **कार्यक्षेत्र:** संपूर्ण मूल्य श्रृंखला → अन्वेषण → खनन → प्रसंस्करण → लाभकारीकरण → खराब उत्पादों से पुनर्प्राप्ति।

स्रोत: [द हिंदू](#)

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025

संदर्भ

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(MoEFCC) ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं -

- **पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (EADA):** पर्यावरण लेखा परीक्षकों के प्रमाणीकरण, पंजीकरण, प्रशिक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय।
- **पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक (REA):**
 - केवल प्रमाणित और पंजीकृत लेखा परीक्षकों को ही पर्यावरणीय लेखा परीक्षा करने की अनुमति है।
 - योग्यता और अनुभव की समीक्षा के आधार पर या परीक्षा के माध्यम से प्रमाणन।
 - तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक असाइनमेंट प्रणाली के माध्यम से REA का आवंटन।
- **REA की जिम्मेदारियां:**
 - नमूनाकरण और विश्लेषण का संचालन करना।
 - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करना।
 - ग्रीन क्रेडिट नियमों के तहत अनुपालन सत्यापित करना।
 - अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और अन्य पर्यावरण एवं वन संबंधी कानूनों के अंतर्गत ऑडिट करना।
- **दो-स्तरीय लेखा परीक्षा प्रणाली:**
 - **टियर-1:** CPCB, SPCBs और MOEFCC क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पारंपरिक अनुपालन समीक्षा।
 - **टियर-2:** REA द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा।
- **संस्थागत भूमिकाएँ:**
 - **MoEFCC:** समग्र पर्यवेक्षण करेगा और दिशा-निर्देश जारी करेगा।
 - **CPCB/SPCBs/क्षेत्रीय कार्यालय:** निरीक्षण और सत्यापन जारी रखेंगे तथा MoEFCC को कार्यान्वयन में सहयोग देंगे।
- **निरीक्षण तंत्र:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति कार्यान्वयन पर नजर रखेगी और सुधारों की सिफारिश करेगी।

स्रोत: [पीआईबी](#)

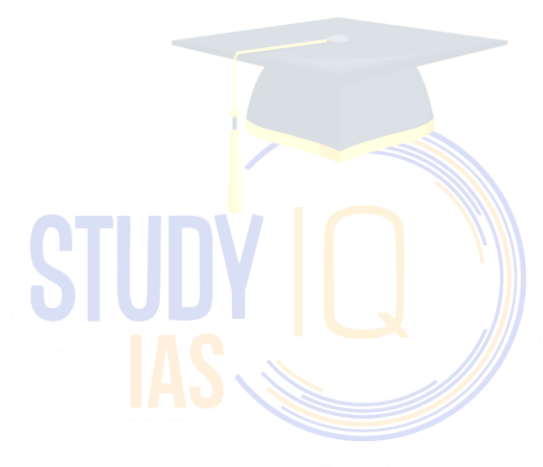
समाचार संक्षेप में

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)	समाचार? अमेरिका-आधारित हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप ने चल रहे बाज़ार हेरफेर मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) का दरवाज़ा खटखटाया है। SAT के बारे में - ● सेबी अधिनियम, 1992 की धारा-15K के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ● यह निम्नलिखित द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है: ○ सेबी (SEBI) ○ सेबी अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी ○ PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ○ कुछ मामलों में IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)। ● सदस्य: पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य। ● इसमें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां निहित हैं। ● इसके अलावा, इसके आदेशों के विरुद्ध केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है (60 दिनों के भीतर)। स्रोत: द हिंदू
एस्त्रेंज स्पेस सेंटर (स्वीडन)	समाचार? भू-राजनीतिक तनावों और अमेरिका तथा फ्रेंच गुयाना पर निर्भरता के बीच, यूरोप स्वीडन के एस्त्रेंज स्पेस सेंटर और नॉर्वे के एंडोया स्पेसपोर्ट जैसे नए स्थलों के माध्यम से स्वतंत्र अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमताओं का विकास कर रहा है। एस्त्रेंज स्पेस सेंटर (स्वीडन) - ● स्थान: किरुना, स्वीडन - आर्कटिक सर्कल से 200 किमी उत्तर में। ● स्थापना: 1966 (मूलतः साउंडिंग रॉकेट और गुब्बारा प्रयोगों के लिए)।

	● स्वामित्व: स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन (SSC) द्वारा संचालित। स्रोत: द हिंदू
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर	समाचार? नौसेना प्रमुख ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) का दौरा किया। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के बारे में - ● उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य भारत की 4,500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है और पूरा होने पर यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री परिसर बन जाएगा। ● घटक: इस परिसर में कई विशेषताएं शामिल होंगी जैसे कि लाइटहाउस संग्रहालय और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करने वाला पांच आयामी थिएटर। ● विकास: बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। स्रोत: पीआईबी
ग्रेफाइट स्पाइवेयर (Graphite Spyware)	समाचार? ट्रम्प प्रशासन ने इजरायल के पैरागॉन सॉल्यूशंस के साथ निलंबित अनुबंध को बहाल कर दिया है, जिससे अमेरिकी आब्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) को उसके ग्रेफाइट स्पाइवेयर तक पहुंच मिल गई है। ग्रेफाइट स्पाइवेयर के बारे में - ● डेवलपर: पैरागॉन सॉल्यूशंस (पूर्व इजरायली पीएम एहुद बराक द्वारा सह-स्थापित)। ● प्रकृति: मोबाइल फोन तक दूरस्थ पहुंच के लिए डिज़ाइन किया गया एक हैकिंग टूल। ● क्षमताएं: ○ फोन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना तथा फोटो, संपर्क और संदेशों तक पहुंचना। ○ रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करना। ○ एन्क्रिप्टेड संदेशों को इंटरसेप्ट करना (जैसे, व्हाट्सएप, सिग्नल)। ○ फोन के माइक्रोफोन को सक्रिय करके उसे सुनने वाले उपकरण में परिवर्तित करना। स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

समाचार में स्थान

दारफुर क्षेत्र 	समाचार? सूडान के दारफुर क्षेत्र में, एक बड़े भूस्खलन ने जेबेल मार्रा पर्वत श्रृंखला में तरासिन नामक पहाड़ी गांव को दफन कर दिया। दारफुर क्षेत्र - ● यह पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है। ● इसकी सीमाएँ लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) से मिलती हैं। स्रोत: द हिंदू
--	--



मुख्य परीक्षा

भारत का खेल प्रशासन तंत्र

संदर्भ

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक हाल ही में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य खेल प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना और भारत के खेल प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाना है।

वर्तमान खेल प्रशासन प्रणाली

● नीति निर्माण:

- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (MYAS): नीति, वित्त पोषण, निकायों की मान्यता।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI): सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र चलाना, शिविरों का आयोजन, खेल विज्ञान एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011
 - राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) की मान्यता को नियंत्रित करता है।
 - अधिकारियों के लिए कार्यकाल और आयु सीमा निर्धारित करता है।
 - कानूनी प्रवर्तनीयता का अभाव - कार्यप्रणाली स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करती है।

● खेल निकाय एवं संगठन:

- राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF): प्रत्येक खेल का संचालन एक महासंघ द्वारा किया जाता है जो खिलाड़ियों का चयन करता है, टूर्नामेंट आयोजित करता है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण: BCCI (क्रिकेट), AIFF (फुटबॉल), WFI (कुश्ती)।
- भारतीय ओलंपिक संघ (IOA): ओलंपिक खेलों के लिए सर्वोच्च संस्था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा मान्यता प्राप्त।

● अखंडता और अनुपालन:

- नाडा/NDTL: एंटी-डोपिंग एजेंसी और प्रयोगशाला; वाडा अनुपालन।
- न्यायिक हस्तक्षेप: कई मामलों में, प्रशासन की विफलताओं के कारण न्यायालयों को प्रशासकों की समिति (COA) (जैसे, AIFF, BCCI, हॉकी इंडिया) नियुक्त करनी पड़ी।

वर्तमान प्रणाली में चुनौतियाँ -

संरचनात्मक समस्याएं

- राजनीतिक कब्जा और संरक्षण: कई NSF जागीरों में बदल गए; आयु/कार्यकाल की सीमाओं का उल्लंघन; परिवार/गुट नियंत्रण आम बात हो गई।
- लोकतांत्रिक घाटा: खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व नाममात्र का है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और प्रमुख चयन अस्पष्ट हैं।

- **वैधता युद्ध:** प्रतिद्वंद्वी समूह 'वास्तविक' महासंघ होने का दावा करते हैं; जब हस्तक्षेप/अराजकता बनी रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय निकाय भारत को निलंबित कर देते हैं (उदाहरण के लिए, एआईएफएफ निलंबन 2022; डब्ल्यूएफआई निलंबन 2023; एकेएफआई निलंबन 2024)

प्रक्रिया और अनुपालन अंतराल

- **चुनावी कदाचार:** कार्यकाल सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है, अधिकारी अनुमत अवधि से अधिक समय तक रुक रहे हैं, मतदाता सूची संदिग्ध है आदि।
- **वित्तीय अस्पष्टता:** अनुदान, प्रायोजक धन, टिकटिंग, अधिकार आय का पारदर्शी रूप से खुलासा नहीं किया गया।
- **मुकदमों का चक्र:** विभिन्न अदालतों में विभिन्न महासंघों के खिलाफ 350 से ज्यादा मामले लंबित हैं। लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे फैसले लेने में रुकावट डालते हैं और एथलीटों के करियर को नुकसान पहुंचाते हैं।

एथलीट-केंद्रित मुद्दे

- **चयन एवं परीक्षण:** अंतिम समय में नोटिस, तदर्थ मानदंड और अपील का सीमित अधिकार।
- **सुरक्षा:** यौन उत्पीड़न, बदमाशी, प्रतिशोध के लिए अपूर्ण तंत्र और स्वतंत्र "सुरक्षित खेल" इकाइयों की कमी।
- **सहायता प्रणालियों का अभाव:** खेल विज्ञान, फिजियो, पोषण, मनोविज्ञान तक असमान पहुंच; विकलांगता खेल अभी भी समानता के लिए संघर्ष कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन जोखिम

- **स्वायत्तता बनाम निगरानी:** अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति/अंतर्राष्ट्रीय महासंघ स्वायत्तता की मांग करते हैं; न्यायालय/सरकार जवाबदेही चाहते हैं। यदि स्वायत्तता और निगरानी में संतुलन नहीं है, तो इससे संघर्ष उत्पन्न होता है।
 - **उदाहरण:** आईओसी ने 2012 में भारतीय ओलंपिक संघ को उसके कामकाज में "सरकारी हस्तक्षेप" के कारण निलंबित कर दिया था।
- **डोपिंग का खतरा:** जब खेल संस्थाएँ आंतरिक लड़ाइयों (अदालती मामले, नेतृत्व विवाद, सरकारी जाँच) से जूझ रही होती हैं, तो उनका ध्यान डोपिंग रोधी उपायों से हट जाता है। इससे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा प्रतिबंध लग सकते हैं और देश की वैश्विक खेल छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

भारतीय खेल प्रशासन में एक नई प्रणाली की आवश्यकता -

- लगातार कुशासन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल समुदाय में भारत की स्थिति को कमजोर कर दिया है।
- राजनीतिक एकाधिकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही में बाधा उत्पन्न की है।
- एक व्यापक कानून के अभाव में खिलाड़ी मनमाने फैसलों के शिकार हो जाते हैं। (वर्तमान में सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 लागू कर दिया है।)
- चूंकि भारत राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक की मेजबानी करने की आकांक्षा रखता है, इसलिए शासन और अखंडता के वैश्विक मानक आवश्यक हो जाते हैं।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के मुख्य प्रावधान -

● राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB):

- राष्ट्रीय खेल महासंघों और उनके राज्य सहयोगियों को विनियमित करने और मान्यता प्रदान करने के लिए एक नया केंद्रीय प्राधिकरण बनाया गया है।
- **उद्देश्य:** "प्रतिद्वंद्वी महासंघों" की समस्या को समाप्त करना, जो अक्सर समानांतर रूप से मौजूद रहते हैं, अपनी वैधता का दावा करते हैं और एथलीटों को भ्रमित करते हैं। NSB द्वारा मान्यता अंतिम और बाध्यकारी होगी।

● शीर्ष समितियों का गठन:

- कानून के तहत राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC) और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (NPC) की औपचारिक स्थापना की गई है।
- सभी खेल महासंघों को अपने नियमों और कार्यप्रणाली को ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिताओं के अनुरूप बनाना होगा।

● महासंघों की कार्यकारी समिति संरचना:

- बड़े आकार और राजनीतिकरण वाले निकायों को रोकने के लिए **कार्यकारी समिति में अधिकतम 15 सदस्य।**
- **अनिवार्य समावेशन:** कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी (निर्णय लेने में खिलाड़ियों की आवाज सुनिश्चित करने के लिए) और कम से कम 4 महिला सदस्य (लैंगिक विविधता में सुधार के लिए)।
- राजनीतिक एकाधिकार के चक्र को तोड़ने के लिए आयु और कार्यकाल की सीमाएं शुरू की गईं (जैसे, अधिकतम आयु 70 वर्ष, अधिकतम 4 वर्ष के 3 कार्यकाल)।

● राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के माध्यम से विवाद समाधान:

- महासंघों, एथलीटों और हितधारकों के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना।
- अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाएगी, जिससे उच्च न्यायालयों और विभिन्न मंचों पर अंतहीन अपीलों का वर्तमान चक्र समाप्त हो जाएगा।

● चुनाव सुधार: राष्ट्रीय महासंघों के चुनावों की देखरेख स्वतंत्र चुनाव अधिकारियों के एक राष्ट्रीय पैनल द्वारा की जाएगी।

● एथलीटों के अधिकार और कल्याण: महासंघ कानूनी रूप से निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं:

- पारदर्शी चयन मानदंड।
- उचित शिकायत निवारण तंत्र।
- उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** संघों को अपने वार्षिक लेखा-परीक्षित खाते, बैलेंस शीट और निर्णय सार्वजनिक मंचों पर प्रकाशित करने होंगे। उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे नागरिक निगरानी सुनिश्चित होती है।

आगे की राह -

- **एथलीट-केंद्रित शासन:** यह सुनिश्चित करना कि निर्णय लेने में एथलीटों की आवाज़ केंद्रीय हो। साथ ही, सभी महासंघों में महिलाओं और खिलाड़ियों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व।
- **पारदर्शिता एवं जवाबदेही:** स्वतंत्र लेखापरीक्षा और अनुपालन जांच।
- **जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय एकीकरण:** खेलो इंडिया → राष्ट्रीय खेल महासंघ → अंतर्राष्ट्रीय खेलों से मजबूत पाइपलाइन।
- **खेल निकायों का व्यवसायीकरण:** खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशिक्षित प्रशासकों, प्रबंधकों और कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:** मजबूत खेल प्रशासन वाले देशों (जैसे, यूके स्पोर्ट्स, यूएस ओलंपिक समिति) के मॉडल अपनाना।
- **पैरा-स्पोर्ट को मुख्यधारा में लाना:** सुलभ स्थल, वर्गीकरण विशेषज्ञता, समर्पित फिजियो/पोषण/तकनीकी सहायता; समान पुरस्कार और मीडिया कवरेज अधिदेश।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एकीकरण:** एथलीट की सहमति से केन्द्रीय खेल विज्ञान क्लाउड (चोट लॉग, प्रशिक्षण भार, हीट मैप); चयन और भार प्रबंधन के लिए विश्लेषण।
- **सर्वप्रथम डोपिंग रोधी शिक्षा:** सभी राष्ट्रीय शिविरार्थियों के लिए अनिवार्य ई-लर्निंग; पोषण/पूरक मार्गदर्शन; आनुपातिक एवं त्वरित निर्णय के साथ शून्य-सहिष्णुता।

पदक और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए भारत को उठाने होंगे ये कदम -

- **जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत करना:**
 - भारत को स्कूल, जिला और ग्रामीण स्काउटिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभा की शीघ्र पहचान करनी चाहिए।
 - स्कूलों में अनिवार्य खेल के मैदान, खेल लीग और एनईपी 2020 खेल पाठ्यक्रम का उचित कार्यान्वयन एक स्थिर प्रतिभा पाइपलाइन सुनिश्चित करेगा।
- **बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का उन्नयन:**
 - राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों और क्षेत्रीय अकादमियों जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं का राज्यों में विस्तार किया जाना चाहिए।
 - खेल विज्ञान, बायोमैकेनिक्स, पोषण और चोट प्रबंधन को एथलीटों की तैयारी का अभिन्न अंग बनना चाहिए, तथा प्रशिक्षण वातावरण को ओलंपिक परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।
- **एथलीट-केंद्रित शासन सुनिश्चित करना:**
 - चयन पारदर्शी होना चाहिए, मापदंड पहले से प्रकाशित होने चाहिए तथा परीक्षणों की सार्वजनिक रूप से निगरानी की जानी चाहिए।
- **वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करना:**
 - टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि अधिक एथलीटों को कोचिंग, प्रदर्शन और रिकवरी के लिए प्रत्यक्ष सहायता मिल सके।
 - सीएसआर फंड और निजी प्रायोजन सरकारी फंडिंग के पूरक हो सकते हैं, जबकि पेंशन और बीमा एथलीटों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे।
- **कोचिंग और मानव संसाधन में निवेश करना:**
 - अनुभवी विदेशी प्रशिक्षकों को नियुक्त करना तथा साथ ही भारतीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।
- **पदक की संभावनाओं और प्रदर्शन में विविधता लाना:**
 - भारत को कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी और एथलेटिक्स में अपनी ताकत बनाए रखते हुए निशानेबाजी, तलवारबाजी, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक जैसे उभरते खेलों में निवेश करना चाहिए।
- **एक मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण करना:**
 - केवल शिक्षा की मानसिकता से आगे बढ़ना होगा और खेलों को एक व्यवहार्य कैरियर के रूप में मान्यता देनी होगी।
 - नीरज चोपड़ा और पी.वी. सिंधु जैसे रोल मॉडल का सम्मान किया जाना चाहिए, तथा बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए परिवारों और स्कूलों को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।